निरीक्षण आख्या **कार्यालय जिला न्यायाधीश, चमोली (गोपेश्वर)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा शर्ते) अधिनियम, 1971 की धारा 13 एवं 16 के अन्तर्गत कार्यालय जिला न्यायाधीश, चमोली (गोपेश्वर) के अवधि **04/2008** से **09/2016** तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा **श्री बृज भूषण मणि त्रिपाठी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सूर्यपाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षक** द्वारा दिनांक **10.10.2016** से **15.10.2016** तक सम्पादित सम्प्रेक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन।

भाग-प्रथम

परिचयात्मकः- इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा **श्री लगन राम, स0ले0प0अ0** एवं **श्री नीरज श्रीवास्तव, सम्प्रेक्षक** के द्वारा दिनांक **09.04.2008** से **11.04.2008** तक **श्री जी0एस0 परिहार, ले0प0अ0** के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी। जिसमें माह **04/2004** से **03/2008** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान में माह **04/2008** से **09/2016** तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. विगत सम्प्रेक्षा से अब तक निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभालाः

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यरत समय अवधि	
			कब से	कब तक
1.	श्री आर0सी0 कुकरेती	जिला न्यायाधीश	15.12.2005	29.05.2008
2.	श्री डी0पी0 गैरोला	जिला न्यायाधीश	31.05.2008	13.10.2008
3.	श्रीमती मीना तिवाडी	जिला न्यायाधीश	14.10.2008	01.07.2011
4.	श्री आशीष नैथानी	जिला न्यायाधीश	02.07.2011	17.09.2013
5.	श्री उत्तम सिंह नवियाल	जिला न्यायाधीश	18.09.2013	15.04.2015
6.	श्री आलोक कुमार वर्मा	जिला न्यायाधीश	17.04.2015	01.06.2016
7.	श्रीमती कहकशा खान	जिला न्यायाधीश	03.06.2016	वर्तमान तक

(ब) विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः-

वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	भाग दो 'अ'	भाग दो 'ब'	STAN
2008-09	निरीक्षण सिविल (राज्य)/ले0प0प्रति-03	शून्य	01	शून्य

(2) सतत अनियमिततायेः- **शून्य**

(3) अप्रस्तुत अभिलेख :- **शून्य**

4. बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण-

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	आयोजनागत		आयोजनेत्तर	
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2008-09	-	-	167.36	110.39
2009-10	-	-	199.18	132.59
2010-11	52.43	52.43	203.45	192.85
2011-12	14.35	14.35	200.52	190.19
2012-13	158.70	158.70	287.36	225.92
2013-14	-	-	313.14	286.74
2014-15	-	-	357.58	262.97
2015-16	-	-	360.16	287.37
2016-17 (09/2016)	8.54	-	401.39	163.12

भाग-2 'अ'

. . . . .शून्य.................................
.

भाग-2 'ब'

<u>प्रस्तर-1</u> ☐ 1.29 लाख के फर्नीचर का अनियमित क्रय।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 9 के अनुसार "प्रत्येक अवसर पर ☐ 15,000 से अधिक तथा ☐ 1,00,000 तक लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय कार्यालय अध्यक्ष द्वारा तीन सदस्यीय क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जा सकता है," तथा नियम 12(1) के अनुसार "सीमित निविदा पृच्छा की विधि उस समय अपनायी जा सकती है, जब अधिप्राप्ति की जाने वाली सामग्री की अनुमानित लागत ☐ 15,00,000 तक हो"।

कार्यालय के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि कार्यालय के लिए मद संख्या-12 'फर्नीचर एवं उपकरण' से दिनांक 26.03.2011, 29.03.2011 एवं 29.03.2011 को ☐ 54090, ☐ 46580 एवं ☐ 28488 कुल ☐ 129158 का क्रय, क्रय समिति के माध्यम से किया गया। क्रय को निविदा प्रक्रिया से बचने के लिए टुकड़ों में किया गया है जो कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का उल्लंघन है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि समयाभाव के कारण निविदा प्रक्रिया अपनाया जाना संभव नहीं था। भविष्य में इसका ध्यान रखा जायेगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'

प्रस्तर-2 ☐ 156 लाख के निर्माण कार्य का अधूरा पाया जाना।

कार्यालय जिला न्यायाधीश, चमोली (गोपेश्वर) के निर्माण कार्य संबंधी अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि जिला न्यायाधीश, चमोली (गोपेश्वर) के कर्णप्रयाग में सिविल जज (जू0डि0) के न्यायालय एवं भवन का निर्माण कार्य दिनांक 02.02.2013 को प्रारम्भ हुआ तथा दिनांक 20.05.2016 को समाप्त हुआ। दिनांक 25.05.2016 को भवन का उद्घाटन भी कर दिया गया।

इस संबंध में विभाग से भवन हस्तान्तरण की प्रति मांगी गयी, तब विभाग द्वारा बताया गया कि भवन हस्तान्तरण की प्रति कार्यदायी संस्था प्रा0ख0लो0नि0वि0 कर्णप्रयाग द्वारा नहीं दिया गया क्योंकि कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।

इस संबंध में सम्प्रेक्षा द्वारा कार्यदायी संस्था तथा इकाई के मध्य कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व के समझौता ज्ञापन (MOU) की प्रति मांगने पर इकाई द्वारा बताया गया कि ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका निराकरण लेखापरीक्षा के दौरान नहीं किया जा सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर **कार्यालय जिला न्यायाधीश, चमोली (गोपेश्वर)** को इस आशय से प्रेषित किया जायेगा कि उसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून C-1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामान्य क्षेत्र